न्यायालय उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

मिसल नं० 2/169/2022 तारीख रजू

पवन बनाम मोहनसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.06.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 1/131, 180, 242, 262, वाके ग्राम मुडिया तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हों कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 12.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 12.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
12/7/22	... पेशकार ... P.O. ... 3-5-21 ... 29 पत्रावली दिनांक 18/7/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/7/22	वकुलाम उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एड० ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या-5 उप०। जवाब पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली पर बहस वकुलाम सुनी गई। हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड छायाप्रति का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की है। विद्वान अधिवक्ता सायलान के इस कथन से सहमत है अतः गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान होता है। इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन करने पर सायल अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में सफल रहे है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व नाप्रतिपूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में साबित है अतः प्रार्थना-पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर गैरसायल को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1/131, 180, 242, 262, वाके ग्राम गुडियाना तह० कठूमर में सायल के हिस्से तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर मूल में जारी रखे दिनांक 27.6.22 द्वारा से फैसले तक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील मूल वाद के साथ शामिल रहे मुकदमा। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	